

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग


15-11-2017

“आयोग के हस्तक्षेप से तीन बाल श्रमिकों को कराया मुक्त “

राष्ट्रीय आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें दिल्ली के एक होस्टल में बच्चों से 16 घंटों तक बाल श्रम करवाया जा रहा है। यह एक प्रकार का बच्चों के अधिकारों का पूरी तरह से हनन है।

सूचना प्राप्त होते ही आयोग ने चाइल्ड लाइन को निर्देश दिया कि तुरंत शिकायत में बताये गये स्थान पर जा कर बच्चों को मुक्त करवाये और उनका पुनर्वास किया जाये। चाइल्ड लाइन ने उस इलाके के SDM की मदद से तुरंत बच्चों को मुक्त करवा कर एवम प्रकरण बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 2016, के अंतर्गत कार्यवाही कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया एवम उनके पुनर्वास हेतु कार्यवाही की।

यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल-कल्याण की दिशा में सफल हस्तक्षेप का उदाहरण है।


(J. Pati)
OSD, NCLCR